न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 227 / 2016

1 गोपालचन्द अग्रवाल आयु 41 साल पुत्र स्व. हरिराम अग्रवाल नवीरा स्व. प्रभुदयाल जाति महाजन निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल निवासी 18 पार्क रोड़ टीटागढ़ उत्तर–24 परगना कोलकता 700119

अपीलांटस

बनाम

1 अशोक पुत्र स्व. घीसाराम जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2 धर्मवीर पुत्र गुड़दयाल जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
3 दलीप पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
4 माला पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
5 शीशराम पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
6 बलवीर पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7 शीशपाल पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
8 सोड़ाराम पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
9 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील खिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 20.01.2016
बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी मु.नं. 55/2015 मुकदमा उनवानी गोपालचन्द बनाम
अशोक वगै. दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अपील संख्या 246/2016

1 गोपालचन्द्र उर्फ पप्पु पुत्र स्व. हरिराम जाति महाजन निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल निवासी 18 पार्क रोड़ टीरागढ़ उत्तर 24 परगना कोलकता 700119।

अपीलांटस

बनाम

1 भगोती पत्नी घीसाराम
2 अशोक पुत्र घीसाराम
3 कमलेश पुत्र घीसाराम
4 कृष्णा पुत्री घीसाराम
5 मिथलेश पुत्री घीसाराम
6 परमेश पुत्री घीसाराम
जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7 प्रभाती पत्नी गुरूदयाल
8 विजय पुत्र गुरूदयाल
9 धर्मवीर पुत्र गुरूदयाल
10 सुबेसिंह पुत्र गुरूदयाल
11 मन्जु पुत्री गुरूदयाल
12 प्रेम पुत्री गुरूदयाल
13 शर्मिला पुत्री गुरूदयाल
जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
14 अनकोर पत्नी हरलाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

15 माडुराम पुत्र हरलाल
16 सुरजी देवी पुत्री हरलाल
17 बिमला पुत्री हरलाल
जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
18 मालाराम पुत्र रामजीलाल
19 दलीप पुत्र रामजीलाल
20 रामकोर पुत्री रामजीलाल
21 मणी पुत्री रामजीलाल
22 बिमला पुत्री रामजीलाल
23 ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर
24 ग्यारसी पुत्री रामेश्वर
25 जुगलाल पुत्र रूडाराम
जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
26 सुरेन्द्र पुत्र स्व. हरिराम जाति महाजन निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल आबाद 18 पार्क रोड़ टीरागढ़ उत्तर 24 परगना कोलकता 700119
27 जितेन्द्र पुत्र स्व. हरिराम जाति महाजन निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल आबाद 18 पार्क रोड़ टीरागढ़ उत्तर 24 परगना कोलकता 700119
28 लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. हरिराम जाति महाजन निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल आबाद 18 पार्क रोड़ टीरागढ़ उत्तर 24 परगना कोलकता 700119
29 मृतक रामनिवास पुत्र छोटेलाल जाति ब्राह्मण निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
29/1 विजय कुमार पुत्र स्व. रामनिवास
29/2 अजय कुमार पुत्र स्व. रामनिवास
29/3 श्रीमती मणी देवी पत्नी स्व. रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
29/4 श्रीमती सरोज देवी पत्नी राजेन्द्र शर्मा पुत्री स्व. रामनिवास निवासी स्माईलपुर पोस्ट नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
29/5 श्रीमती सुधा देवी पत्नी रविन्द्र शर्मा पुत्री स्व. रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढाणी पोस्ट आडुका तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

29/6 श्रीमती उमा देवी (मन्जु पत्नी बालकिशन शर्मा पुत्री स्व. रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी मुकन्दपुरा पोस्ट ठाठवाड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।)
29/7 श्रीमती संगीता देवी पत्नी विजयकुमार शर्मा पुत्री स्व. रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी बाय तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
30 उप पंजीयक एवं तहसीलदार भू–अभिलेख खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
31 लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि.1955
अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 20.01.2016 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी मु.नं.
163/2015 मुकदमा उनवानी भागोती बनाम पप्पु वगै. दावा
बबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अपील संख्या 247/2016

1 गोपालचन्द अग्रवाल आयु 41 साल पुत्र स्व. हरिराम अग्रवाल नवीरा स्व. प्रभुदयाल जाति महाजन निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल निवासी 18 पार्क रोड़ टीटागढ़ उत्तर–24 परगना कोलकता 700119

अपीलांटस

बनाम

1 अशोक पुत्र स्व. घीसाराम जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (लैण्ड झुन्झुनूं)

2 धर्मवीर पुत्र गुड़दयाल जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
3 दलीप पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
4 माला पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
5 शीशराम पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
6 बलवीर पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7 शीशपाल पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
8 सोड़ाराम पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
9 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज. काश्तकारी अधि. 1955
अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 20.01.2016
बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी मु.नं. 54/2015 मुकदमा उनवानी गोपालचन्द्र
बनाम अशोक वगै. दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई
निषेधाज्ञा

अपील संख्या 47/2016

1 श्रीमती मणी देवी उम्र 72 साल पत्नी स्व. श्री रामनिवास
2 विजय कुमार उम्र 50 साल पुत्र स्व. श्री रामनिवास
3 अजय कुमार उम्र 40 साल पुत्र स्व. श्री रामनिवास
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

उप प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

4 श्रीमती सरोज देवी उम्र 52 साल पत्नी श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्री स्व. श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ईस्माईलपुर पोस्ट नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
5 श्रीमती सुधा देवी उम्र 46 साल पत्नी श्री रविन्द्र शर्मा पुत्री स्व. श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढाणी पोस्ट अडूका तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
6 श्रीमती उमा देवी (मन्जू) उम्र 36 साल पत्नी श्री बालकिशन शर्मा पुत्री स्व. श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी मुकन्दपुरा पोस्ट ठाठवाड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
7 श्रीमती संगीता देवी उम्र 30 साल पत्नी विजय कुमार शर्मा पुत्री स्व. श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बाय तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1 अशोक उम्र 50 साल पुत्र घीसाराम
2 दलीप उम्र 53 साल पुत्र श्री रामजीलाल
3 ओमप्रकाश पुत्र श्री शमशेर जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 सुणाराम आयु 60 साल पुत्र श्री रामनारायण
5 बिजे सिंह आयु 40 साल पुत्र श्री गुरूदयाल जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
6 काशीराम पुत्र श्री रामदयाल जाति महाजन निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी बईजलास श्री राजेश कुमार नायक आरएएस बाबत
मुकदमा नम्बर 152/2014 दावा स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी
रामनिवास आदि बनाम अशोक कुमार आदि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 48/2016

1 श्रीमती मणी देवी उम्र 72 साल पत्नी स्व. श्री रामनिवास
2 विजय कुमार उम्र 50 साल पुत्र स्व. श्री रामनिवास
3 अजय कुमार उम्र 40 साल पुत्र स्व. श्री रामनिवास
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
4 श्रीमती सरोज देवी उम्र 52 साल पत्नी श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्री स्व. श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ईस्माईलपुर पोस्ट नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
5 श्रीमती सुधा देवी उम्र 46 साल पत्नी श्री रविन्द्र शर्मा पुत्री स्व. श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढाणी पोस्ट अडूका तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
6 श्रीमती उमा देवी (मन्जू) उम्र 36 साल पत्नी श्री बालकिशन शर्मा पुत्री स्व. श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी मुकन्दपुरा पोस्ट ठाठवाड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
7 श्रीमती संगीता देवी उम्र 30 साल पत्नी विजय कुमार शर्मा पुत्री स्व. श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बाय तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलार्थीगण/प्रतिवादी नम्बर 6 के वारिसान

बनाम

1 भगोती पत्नी घीसाराम
2 अशोक पुत्र घीसाराम
3 कमलेश पुत्री घीसाराम
4 कृष्णा पुत्री घीसाराम
5 मिथिलेश पुत्री घीसाराम
6 परमेश पुत्री घीसाराम
7 प्रभाती पत्नी श्री गुरूदयाल
8 विजय पुत्र श्री गुरूदयाल
9 धर्मवीर पुत्र श्री गुरूदयाल
10 सुबेसिंह पुत्र श्री गुरूदयाल
11 मन्जू पुत्री श्री गुरूदयाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

12 प्रेम पुत्री श्री गुरूदयाल
13 शर्मिला पुत्री श्री गुरूदयाल
14 अनकोर पत्नी हरलाल
15 माडूराम पुत्र हरलाल
16 सुरजी देवी पुत्री हरलाल
17 बिमला पुत्री हरलाल
18 मालाराम पुत्र श्री रामजीलाल
19 दलीप पुत्री श्री रामजीलाल
20 रामकोर पुत्री श्री रामजीलाल
21 मणी पुत्री श्री रामजीलाल
22 बिमला पुत्री रामजीलाल
समस्त जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं राज.।
23 ओमप्रकाश पुत्र श्री शमशेर जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
24 ग्यारसी पुत्री श्री शमशेर जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
25 जुगलाल पुत्र श्री रूडाराम जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस/वादीगण

26 पप्पू पुत्र स्व. हरीराम जाति महाजन निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज. हाल आबाद 18 पार्क रोड़ टीरागढ़ उत्तर 24 परगना कोलकता 700119
27 सुरेन्द्र पुत्र स्व. हरीराम जाति महाजन निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज. हाल आबाद 18 पार्क रोड़ टीरागढ़ उत्तर 24 परगना कोलकता 700119
28 जितेन्द्र पुत्र स्व. हरीराम जाति महाजन निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज. हाल आबाद 18 पार्क रोड़ टीरागढ़ उत्तर 24 परगना कोलकता 700119
29 लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. हरीराम जाति महाजन निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज. हाल आबाद 18 पार्क रोड़ टीरागढ़ उत्तर 24 परगना कोलकता 700119

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

30 गोपालचन्द पुत्र स्व. हरीराम जाति महाजन निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज. हाल आबाद 18 पार्क रोड़ टीरागढ़ उत्तर 24 परगना कोलकता 700119

31 उप पंजीयक एवं तहसीलदार भू–अभिलेख खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज. ।

32 लैण्ड होल्डर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस / प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी बईजलास श्री राजेश कुमार नायक आरएएस बाबत मुकदमा नम्बर 163 / 2015 दावा घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आरटीएक्ट उनवानी भगोती आदि बनाम पप्पू आदि

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 20/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 158 / 2015 (21 / 1985), 55 / 2015, 54 / 2015, 163 / 2015, 152 / 2015 में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 के विरूद्ध

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्तुत हुई है। पांचो पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दावा पुराना मु.नं. 21/1985 जिसके नये मु.नं. 158/2015 है के तथ्य इस प्रकार है कि वादी हरिराम ने यह दावा इस प्रकार पेश किया कि वादी के पिता प्रभुदयाल के कनिष्ठ भ्राता काशीराम ने ग्राम बसई स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 3 बीघा 13 बिश्वा जागीरदार ठिकाना खेतड़ी से ली थी एवं उसके बाद पट्टा दिनांक 08.03.1968 को प्राप्त कर लिया था उसी समय से वादी के पिता प्रभुदयाल व चाचा काशीराम का कब्जा चला आ रहा है काशीराम ने इसमें कुआ व चारो तरफ डण्डा बनाया था। वादी के पिता व माता की मृत्यु हो चुकी है वादी एक मात्र वारीश होने से इस भूमि का उपयोग–उपभोग करता आ रहा है तथा काशीराम नाऔलाद फौत हो चुका है सन् 1955 में राज़. काश्त. अधिनियम लागू होने से वादी का चाचा व पिता खातेदान बन गये थे। इस भूमि के रकबा 3 बीघा 13 बिश्वा के सन् 1968 में अलग खसरा नम्बर 241 हो चुके है अन्त में खसरा नम्बर 241 के 3 बीघा 13 बिश्वा रकबा का वादी को खातेदार घोषित करने का निवेदन किया या दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी द्वारा उपस्थिति के बाद जवाब नहीं पेश करने के बाद में उनके अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन करने पर एकपक्षीय डिक्री हुआ जिसकी अपील भी खारिज हुई जो बाद में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील होने पर दिनांक 10.03.2014 के निर्णय से स्वीकार हुई इस न्यायालय व राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण पुनः गुणदोष पर निर्णित करने हेतु प्रति प्रेषित हुआ है। दावा मु.नं. 54/2015 एवं 55/2015 के प्रतिवादी व मु.नं. 163/2015 के बादी ने जो इस वाद में प्रतिवादी संख्या 5 है ने अपना जवाब पेश किया एवं जवाब में दावा संख्या 163/2015 के वाद पत्र व मु.नं. 54/2015 व 55/2015 के जवाब के तथ्यों को रूप ही दोहराया जिसका वर्णन आगे किया जा रहा है। दाव मु. नं. 54/2015 के तथ्य इस प्रकार है कि वादी गोपालचन्द जिसने अपने आपको दावा मु.नं. 158/2015(21/1985) के वादी का पुत्र बताया है उसने यह दावा किया है कि गांव बसई स्थित भूमि खसरा नम्बर 806/407 रकबा 0.43 हैक्टेयर उसके पूर्वजो की है उसमें बगीचा लगा रखा है मकान बना रखे है काशीराम व उसके पूर्वज काफी वर्षों से कोलकता में व्यवसाय

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

कर रहे है तथा श्री गोविन्दराम स्वामी पुत्र श्री हनुमानदास स्वामी निवासी बसई को छोड़ रखा है काशीराम व उसके पूर्वज साल में 2–4 बार आकर इस भूमि को संभालते है काशीराम 1976 में नाऔलाद मर गया है जो प्रभुदयाल वादी के पितामह का भाई था तथा वादी के पिता हरिराम का चाचा लगता था जो एक ही हिन्दु परिवार में साथ रहना वर्णित करते हुए वंशावली का भी विवरण किया है एवं साल दो में आकर भूमि को संभालना बताते हुये प्रतिवादीगण का इस भूमि से कोई संबंध नहीं होना बताया है एवं दिनांक 23.02.2015 को वादी की पोली में आग लगाना बताते हुये एफ.आई.आर. नम्बर 103/2015 दर्ज करवाना व 20.03.2015 को नोटिस देना वर्णित करते हुये खसरा नम्बर 806/407 का वादी को खातेदार घोषित करने व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने का विवेचन किया इस वाद के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने जवाबदावा पेश कर मु.नं. 163/2015 के वाद पत्र के तथ्यों को ही दोहराया। मु.नं. 55/2015 के केवल भूमि के खसरा नम्बर अन्तर है अर्थात दावा मु.नं. 54/2015 में भूमि खसरा नम्बर 806/407 का वर्णन है तथा दावा मु.नं. 55/2015 में भूमि के खसरा नम्बर 407 रकबा 0.81 हैक्टेयर वर्णित है शेष सभी तथ्य वही है जो मु.नं. 54/2015 में वर्णित किये है तथा प्रतिवादीगण के जवाब में भी केवल खसरा नम्बर का अन्तर है बाकी वही तथ्य है जो मु.नं. 54/2015 के जवाब दावा व मु.नं. 163/2015 के वाद पत्र में है। मु.नं. 163/2015 के वादीगण ने यह दावा इस प्रकार पेश किया है कि गत खसरा नम्बर 241 रकबा 4 बीघा 18 बिश्वा का खातेदार संवत 1998 में तुला वल्द अनदा जाट हिस्सा 1/2 व रूडा वल्द टेका जाट हिस्सा 1/2 का खातेदार था एवं वाद पत्र के खण्ड नम्बर 1 में उनकी वंशावली का वर्णन करते है तुला के एक पुत्र कालू होना बताया कालु के दो पुत्र बताये जिसमें एक का नाम घीसाराम जिसके प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 वारिस व दूसरे का नाम गुरूदयाल जिसके प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 13 वारिस होना बताये है तथा रूडा के चार पुत्र हरलाल रामजीलाल, शमसेर व जुगलाल होना बताये है हरलाल की मृत्यु हो चुकी है वादी संख्या 14 लगायत 17 को उसके वारिस रामजीलाल की मृत्यु होना व वादी संख्या 18 लगायत 22 को उसके वारिस व शमसेर की मृत्यु होना व वादी संख्या 23 एवं 24 को उसके वारिसान जुगलाल वादी संख्या 25 को जीवित होना वर्णित करते हुये अपने पूर्वजों की खातेदारी व आज

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भी कब्जा काश्त में होने की वर्णित करते हुये संवत 1999 से बिना किसी बाधा के भूमि पर काश्त करना बताया 4 बीघा 18 बिश्वा में से 3 बीघा 4 बिश्वा में कालू हिस्सा 1/2 व रूड़ाराम के वारिसान का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया तथा 1 बीघा 14 बिश्वा भूमि गलत रूप से प्रभुदयाल व काशीराम के नाम दर्ज कर दी हैं जबकि उनका इस भूमि से कोई संबंध नहीं था इसलिए उक्त प्रविष्टिया शुन्य है तथा 1 बीघा 14 बिश्वा का अलग से खसरा नम्बर वर्णित कर खसरा नम्बर 241 मीन दर्ज कर खाता भी बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से अलग कायम कर दिया हैं काशीराम की नाऔलाद मृत्यु हो चुकी है गत खसरा नम्बर 241/1 रकबा 3 बिघा 4 बिश्वा की खातेदारी वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है गत खसरा नम्बर 241/1 के नये खसरा नम्बर 407 रकबा 081 हैक्टेयर कायम किये गये है तथा खसरा नम्बर 241/2(241 मीन) का नया खसरा नम्बर 806/407 रकबा 0.43 हैक्टेयर कायम किये गये है पहले प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी हरिराम ने वादीगण के खिलाफ मु.नं. 21/1985 हरिराम बनाम घीसाराम पेश किया था जो एक पक्षीय डिक्री हुआ था जो दिनांक 10.03.2014 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय व डिक्री निरस्त कर दिया गया है तथा यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारियों या प्रतिवादी संख्या 6 के नाम से कभी गलत दर्ज हो गई थी एंव इस भूमि में वादीगण का खातेदारी अधिकार होने पैतृक भूमि होने तथा गलत रूप से 1 बीघा 14 बिश्वा रकबा प्रभुदयाल या काशीराम के नाम दर्ज होने व सम्पूर्ण भूमि वादीगण की होने व अन्त में खसरा नम्बर 806/407 रकबा 0.43 हैक्टेयर खसरा नम्बर 407 रकबा 0.81 है. में वादी संख्या 1 लगायत 6 को 1/4 हिस्सा वादी संख्या 7 लगायत 13 को 1/4 हिस्सा वादी संख्या 14 लगायत 17 को 1/8 हिस्सा वादी संख्या 18 लगायत 22 को 1/8 हिस्सा वादी संख्या 23 व 24 को 1/8 हिस्सा वादी संख्या 25 को 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है। दावा दर्ज किया नोटिस जारी किये प्रतिवादी संख्या 5 गोपालचन्द उपस्थित आया शेष उपस्थित नहीं हुये उक्त गोपालचन्द द्वारा ही दावा मु.नं. 54/2015 एवं 55/2015 पेश किये है गोपालचन्द ने इस वाद पत्र का जवाब पेश नहीं किया है मु.नं. 54/2015 एवं मु.नं. 55/2015 की पत्रावली साक्ष्य वादी में है लेकिन उन्होंने कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

साक्ष्य पेश नहीं की है। मु.नं. 152/14 बउनवानी रामनिवास बनाम अशोक वगे. के वादी रामनिवास ने यह दावा इस प्रकार पेश किया कि गत खसरा नम्बर 241/2 रकबा 1 बीघा 14 बिश्वा पर यह शान्तिपूर्वक काबिज है धारा 19 राज. काश्त. अधि. व कृषि वर्ष 01.01.1971 के तहत नामान्तकरण संख्या 203 के द्वारा वह खातेदार बन गया है तथा सन 1986 में इस नम्बर की पास बुक भी बनाकर उसे दी गई है जिसके हाल खसरा नम्बर 806/407 रकबा 0.43 हैक्टेयर बनाये गये है वादी को बिना जानकारी दिये ही प्रतिवादी संख्या 6 ने राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों से मिलकर यह भूमि अपने नाम करवा ली है जिसकी जानकारी होने पर वादी ने शीघ्र कार्यवाही शुरू कर दी है जो विचाराधीन है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने शनिवार, रविवार को संगठन बनाकर जबरन लठ के बल पर उसकी भूमि पर कब्जा करने पर अमादा है तथा वादी को उसको खेत में आकर धमकाया है एवं निर्माण कार्य करने की कोशिश कर रहे है इसलिए वादी के लिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है अन्त में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने का निवेदन किया है दावा दर्ज कर नोटिस जारी किये गये है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से मु.नं. 163/2015 के तथ्यों को अपने जवाबदावा में दौहराया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद संख्या 158/2015, 54/2015, 55/2015, 152/2014 को खारिज किया है एवं दावा संख्या 163/2015 को डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 47/2016, 48/2016 अंदर मियाद एवं अपील संख्या 227/2016, 246/2016 व 247/2016 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील संख्या 47/2016 में तर्क दिया कि दिवानी प्रकिया संहिता में भिन्न भिन्न वादों को समेकित करने के लिए विशिष्ट रूप से प्रावधान दे रखे है तथा यह बता रखा है कि कब, किन किन दावों को, किन किन स्टेज पर समेकित किया जा सकता है ऐसी सूरत में जहां एक वादी का देहान्त हो गया है उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन पत्र पेश होना है तथा जवाब प्रतिवादीगण का आना है तथा इस बात के लिए जब पेशी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांक 03.02.2016 दे रखी है तो यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के मन में निश्चित रूप से बेईमानी रही है वरना एक न्यायालय को मुकदमे का उनवान तो प्रोपर होने देना ही चाहिये था तथा दोनों पक्षों को खास तौर से रामनिवास के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना ही उसके दावे को मनमर्जी से कन्सोलीडेट करके खारिज कर देना सरासर अन्याय है ऐसी सुरत में किसी भी प्रावधान के तहत रामनिवास के दावा के लिए विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2016 कतई कायम रहने योग्य नहीं है। इसी प्रकार अपील संख्या 48/2016 में तर्क दिया कि जहां एक वादी का देहान्त हो गया है तथा उसके वारिसान को रिकार्ड पर ले लिया गया तथा दिनांक 31.12.2015 को जब प्रतिवादी नम्बर 6 के वारिसान की ओर से जवाब दावा पेश किया गया तो मुकदमा प्रतिदावा के लिए दिनांक 04.01.2016 को रखा। उस दिन मुकदमा नम्बर 54/2015 व 55/2015 को समेकित कर दिया यहां यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय को यह देखना परम आवश्यक था कि इस दावा के वादीगण रामनिवास के वारिसान जब मुकदमा नम्बर 54/2015 व 55/2015 में पक्षकार ही नहीं है तो उनके तनकीयात अपीलार्थीगण से कैसे संबंधित हुई तथा वादीगण भगोती वगे. तथा प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के जवाब दावा से जो बिन्दू उत्पन्न होकर तनकियात कायम की जानी थी वह दुसरो के दावों में कायम तनकीयात को कैसे माना जा सकता है इसका मतलब विचारण न्यायालय ने इस दावा में न तो तनकीयात कायम की और न ही मकदमें को साक्ष्य में रखा तथा यह भी स्पष्ट है विचारण न्यायालय ने बिना साक्ष्य, बिना दस्तावेज, बिना बहस भगोती आदि का दावा डिक्री कर दिया जो निश्चित रूप से बेईमानीपूर्ण कृत्य है ऐसा निर्णय व डिक्री किसी भी सूरत में कायम रहने योग्य नहीं है। अपील संख्या 227/2016 में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांकित 20.01.2016 पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की । विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांकित 20.01.2016 पारित करते समय अपीलान्ट को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

सुना नहीं तथा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया एवं अधिवक्तागणों द्वारा विचारण न्यायालय के कार्य बहिष्कार के दौरान निर्णय व डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय के समक्ष मु. नं. 158/2018(21/1985) में विवादित जमीन गत खसरा नम्बर 241/1 तादादी 3 बीघा 13 बिश्वा विवादित है। जमीन गत खसरा नम्बर 241/1 के दौराने पैमाईश हाल खसरा नम्बर 407 रकबा 0.81 हैक्टेयर बने। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष मु.नं. 55/2015 जमीन हाल खसरा नम्बर 407 रकबा 0.81 हैक्टेयर के बाबत पेश किया है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा में यह तथ्य दर्ज किये है कि कि जमीन हाल खसरा नम्बर 407 रकबा 0.81 हैक्टेयर की खातेदारी उसके पिता हरिराम के नाम दर्ज है। उसके पिता हरिराम का 08.04.2011 को देहान्त हो चुका है। जमीन हाल खसरा नम्बर 407 उसके पिता के द्वारा की गई वसीयत के मुताबिक अपने पिता हरिराम का एकमात्र वारिस होने के कारण जमीन हाल खसरा नंबर 407 रकबा 0.81 हैक्टेयर की खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज की जावें। उक्त मुकदमा दिनांक 15.05.2015 को अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया मु.नं. 55/2015 के पेश होने तक अपीलान्ट को मु.नं. 158/2015 (21/1985) उनवानी हरिराम बनाम घीसाराम के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं रही। अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया मु.नं. 55/2015 को विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.05. 2015 को मु.नं. 21/1985 (158/2015) के साथ संलग्न कर दिया। विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किये गये मु.नं. 55/2015 की आदेशिका दिनांक 29.07.2015 से दिनांक 23.12.2015 एवं आगे 20.01.2016 तक आदेशिकाओं में लिखा है कि अभिभाषक संघ द्वारा न्यायालय के कार्यों का बहिष्कार कर रखा है। विचारण न्यायालय को दोनों पक्षकारों को सुनकर दोनों पक्षकारों की साक्ष्य लेकर दावा में विवाधकों की विरचना कर उनके कानूनी सलाहकारों को सुनकर कानूनी रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाकर निर्णय पारित करना चाहिये था। विचारण न्यायालय ने मौजुदा प्रकरण में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

पक्षकारान की प्रोपर तामील नहीं करवाई। प्रभावित पक्षकार की जबाबदेही नहीं ली कोई विवाधक की विरचना नहीं की तथा पक्षकारान की शपथ पूर्वक साक्ष्य नहीं ली। वकीलों की हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार के दौरान अपीलान्ट को बिना सुने। अपीलान्ट के कानूनी सलाहकार को बिना सुने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित की है जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करते समय राजस्व रिकार्ड व पत्रावली का अवलोकन नहीं किया। विचारण न्यायालय ने मु.नं. 163/2015 उनवानी भागोती बनाम पप्पु वगे. में आदेशिका दिनांक 04.01.2016 को लिखी है। उसमें विचारण न्यायालय ने लिखा है कि इस जमीन को लेकर मुकदमों की बाहुल्यता बढ़ती जा रही है अतः मिसल वास्ते बहस दिनांक 20.01.2016 को पेश हो। दिनांक 20.01.2016 को विचारण न्यायालयने उभयपक्षकारान की उपस्थिति गलत बताई है एवं पक्षकारान को सुनने बाबत तथ्य गलत अंकित किये है। पक्षकारान की उपस्थिति बाबत आदेशिका पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। अपील संख्या 247/2016 में तर्क दिया कि मु.नं. 54/2015 को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.12.2015 को दावा संख्या 21/1985 (158/2015) के साथ यह कहते हुये कन्सोलिडेट कर दिया कि इस दावा में विवादित सम्पति व दावा संख्या 21/1985 (158/2015) में वाद विषयवस्तु व पक्षकारान एक समान है। जबकि दावा संख्या 21/1985 (158/2015) में वाद विषयवस्तु गत खसरा नम्बर 241/1 हाल खसरा नबर 407 विवादित है एंव मु.नं. 54/2015 के दावा में वाद विषयवस्तु गत खसरा नम्बर 241/2 तादादी 1 बीघा 14 बिश्वा हाल खसरा नम्बर 806/407 विवादित है। यानि मु.नं. 158/2015 तथा मु.नं. 54/2015 में वाद विषयवस्तु (जमीन) एक समान नहीं है। विचारण न्यायालय ने दावा संख्या 54/2015 को दावा संख्या 21/1985 (158/2015) उनवानी हरिराम बनाम प्रभुदयाल के साथ कन्सोलिडेट कर खारिज करने में कानून गलती की है। विवादित जमीन पर अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

काबिज काश्त है एवं अपीलान्ट से पूर्व उसके पूर्वज लगातार काबिज काश्त रहे है। विवादित जमीन के तीन ओर करीब 8 फीट ऊंची दिवार बनी हुई है। उक्त तीन ओर चार दिवारी का निर्माण अपीलान्ट के दादा प्रभुदयाल व काशीराम ने किया था। रेस्पोडेन्ट व अन्य का विवादित जमीन पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। विचारण न्यायालय को दोनों पक्षकारों को सुनकर दोनों पक्षकारों की साक्ष्य लेकर दावा में विवाधकों की विरचना कर उनके कानूनी सलाहकारों को सुनकर कानूनी रूप से विधिक प्रकिया अपनाकर निर्णय पारित करना चाहिये था। विचारण न्यायालय ने मौजुदा प्रकरण में पक्षकारान की प्रोपर तामील नहीं करवाई। प्रभावित पक्षकार की जवाबदेही नहीं ली कोई विवाधक की विरचना नहीं की तथा पक्षकारान की शपथ पूर्वक साक्ष्य नहीं ली। वकीलों की हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार के दौरान अपीलान्ट को बिना सुने अपीलान्ट के कानूनी सलाहकार को बिना सुने न्यायिक प्रकिया का दूरूपयोग कर निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित की है जो खारिज होने योग्य है। अपील संख्या 246/2016 में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष जमीन हाल खसरा नम्बर 407 रकबा 0.81 हैक्टेयर गत खसरा नम्बर 241/1 के बाबत मु.नं. 21/1985 (158/2015) पहले से दर्ज होकर विचाराधीन था तथा उक्त पूर्व वाद मुकदमा नम्बर 158/2015 की जानकारी रेस्पोडेन्ट को पहले से थी। उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 25 ने झुंठा दावा पेश किया है। इस जमीन के संबंध में पूर्व वाद उनवानी हरिराम बनाम घीसाराम में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 में से सिर्फ जुगलाल रेस्पोडेन्ट नम्बर 25 जिन्दा है एवं अन्य के वारिस रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 24 है। जमीन हाल खसरा नम्बर 407 रकबा 0.81 हैक्टेयर की जमीन अपीलान्ट की पैतृक जमीन है। उक्त जमीन का पट्टा ठिकाना खेतड़ी ने अपीलान्ट के दक्षिणी प्रभुदयाल एवं प्रभुदयाल के भाई काशीराम के हक मे जारी किया था। ठिकाना समय से जमीन हाल खसरा नम्बर 407 अपीलान्ट के पूर्वजों के कब्जा काश्त में रही। तथा बाद में अपीलान्ट के पिता हरिराम की खातेदारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुन्झुनूं (कैम्प खेतड़ी)

में रही एवं वर्तमान में अपीलान्ट के कब्जा काश्त है अपीलान्ट को दावा संख्या 158/2015 की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट ने जमीन हाल खसरा नम्बर 407 की खातेदारी के लिये विचारण न्यायालय के समक्ष दावा नम्बर 55/2015 पेश किया। अपीलान्ट के पिता हरिराम का दिनांक 08.04.2011 को देहान्त हो चुका है। जमीन हाल खसरा नम्बर 407 वसीयत के द्वारा अपीलान्ट को अपने पिता से प्राप्त हुई है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 25 का व उनके पूर्वजों का विवादित जमीन पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को बिना जवाब देही व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना बिना विधिक प्रकिया अपनाये अधिवक्तागण के बहिष्कार के दौरान निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित की है। जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण में कोई तनकीयात कायम नहीं की तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अपीलान्ट को अधिवक्ता के जरिये अपने हक अधिकारों की रक्षा हेतु कोई अवसर नहीं दिया। आदेशिका एवं निर्णय दिनांक 20.01.2016 में पक्षकारान की उपस्थिति एवं उनको सुनने बाबत तथ्य गलत दर्ज किये है। विचारण न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 04.01.2016 में इस जमीन के बाबत वाद बाहुल्यता बढ़ने का बहाना लेकर पत्रावली को बिना पक्षकारान की सहमति के बहस में गलत रूप से लेकर गलत निर्णय व डिक्री पारित किया है। जो खारिज होने योग्य है। अपील संख्या 246/2016, 247/2016 एवं 227/2016 जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जावें। पांचों अपीलें स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दावा संख्या 158/2015 (21/1985) वादी हरिराम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचाराधीन निर्णय से इस वाद को अबैटमेंट के आधार पर खारिज किया गया है। इस वाद के निर्णय को किसी भी

पक्षकार ने अपील के जरिये चुनौती नहीं दी है। अतः इसके संदर्भ में निर्णय अंतिम हो चुका है। वाद संख्या 152/2014 को विचारण न्यायालय ने इस आधार पर खारिज किया है कि वादी रामनिवास व उसके वारिसान ने गत खसरा नम्बर 241/2 रकबा 1 बीघा 18 बिश्वा भूमि की खातेदारी इन्तकाल नम्बर 203 जो सन 1971 में दर्ज होना बताया है। उक्त इन्तकाल किस आधार पर उसके नाम दर्ज हुआ इसका कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है। वर्तमान में यह इन्तकाल निरस्त हो चुका है। वादी रामनिवास व उनके वारिसान द्वारा दावा संख्या 152/2014 केवल स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। विधि अनुसार घोषणा के अभाव में खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विधि द्वारा पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से दावा संख्या 152/2014 खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। गुणावगुण के संदर्भ में दावा संख्या 152/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 47/2016 में कोई कथन नहीं किया गया है। अतः दावा संख्या 152/2014 के संदर्भ में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय के समक्ष दावा संख्या 54/2015 एवं 55/2015 वादी अपीलांट गोपाल चंद अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इन दोनों दावों के साथ वादी गोपालचन्द द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार हाल खसरा नम्बर 407 रकबा 0.81 हैक्टेयर हरिराम के नाम खातेदारी में जिस निर्णय व डिक्री से दर्ज हुई थी। वह निरस्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त वादी गोपाल चन्द्र द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 407 व 806/407 वादी अथवा उसके किसी पूर्वज की कब्जा काश्त व खातेदारी की होना प्रकट होता हो। अपीलांट द्वारा दावा संख्या 54/2015 एवं 55/2015 में स्वयं वादी होते हुए अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण पर दावा संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

54/2015 एवं 55/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 227/2016 एवं 247/2016 स्वीकार योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष दावा संख्या 163/2015 रेस्पोडेन्ट भागोती आदि की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इस वाद के संदर्भ में पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य से प्रकट होता है कि मिसल हकियत संवत 1999 के अनुसार गत खसरा नम्बर 221 रकबा 2 बिश्वा तथा गत खसरा नम्बर 241 रकबा 4 बीघा 18 बिश्वा की खातेदारी इस वाद में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी तुला वल्द अनदा एवं रूड़ा वल्द टेका के नाम दर्ज है जमाबन्दी संवत 2012 जो आधार जमाबन्दी है उसमें भी गत खसरा नम्बर 221 व 241 मीन की खातेदारी कालू पुत्र तुला 1/2 एवं रूड़ा पुत्र टेका 1/2 के नाम दर्ज है अर्थात मु.नं. 163/2015 के हकपूर्वाधिकारी इस भूमि के खातेदार दर्ज है खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 में भी गत खसरा नम्बर 241 रकबा 4 बीघा 18 बिश्वा तुला वर्गे, की खातेदारी की होना व पड़त होना दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2016 से 2019 में गुवार बाजरा की फसल व आबादी होना दर्ज है उसके बाद भी बाजरा गुवार सरसों की फसल होना दर्ज है तथा इस पर वादीगण के हकपूर्वाधिकारी घीसाराम वर्गे. की फसल होना दर्ज है अर्थात हरिराम महाजन के नाम से खसरा नम्बर गिरदावरी में कोई प्रविष्टिया नहीं है एवं जमाबन्दीयों के अनुसार वादीगण की खातेदारी की भूमि गत खसरा नम्बर 241 है गत खसरा नम्बर 241 की 1 बीघा 14 बिश्वा भूमि प्रभुदयाल कासीराम महाजन के नाम कैसे दर्ज हुई इसका रिकार्ड में कोई उल्लेख नहीं हैं तथा खसरा नम्बर 241 का ही 3 बीघा 4 बिश्वा रकबा पूर्व की भांति वादीगण के हकपूर्वाधिकारियों के नाम निरन्तर दर्ज है जो जमाबंदी संवत 2031 से 2034 तक लगातार दर्ज है गत खसरा नम्बर 241 मीन रकबा 3 बिघा 4 बिश्वा हरिराम के नाम से जिस निर्णय व डिक्री से दर्ज हुआ था वह आपस्त हो चुके है इसके अलावा मु.नं. 54/2015 व 55/2015 का वादी जो मु.नं. 163/2015 का प्रतिवादी है उसने ऐसी कोई साक्ष्य या सबूत नहीं बताये है जिससे की गत खसरा नम्बर 241 का 1 बीघा 14

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

बिश्वा रकबा प्रभुदयाल काशीराम के नाम दर्ज कैसे हुआ तथा गत खसरा नम्बर 241 मीन के 1 बीघा 14 बिश्वा पर उनका कब्जा रहा हो ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है जबकि गत खसरा नम्बर 241 के 4 बीघा 18 बिश्वा भूमि मु.नं. 163/2015 के वादीगण के हकपूर्वाधिकारियों की खातेदारी की रही है जो दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। वाद संख्या 163/2015 के निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 5 गोपालचन्द ने अपील संख्या 246/2016 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है एवं प्रतिवादी संख्या 6 रामनिवास के वारिसान ने अपील संख्या 48/2016 प्रस्तुत की है। गोपालचन्द द्वारा विचारण न्यायालय में जरिये वकील उपस्थिति होने के बावजूद मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपील संख्या 48/2016 एवं 246/2016 में अपीलांट ने गुणावगुण पर कोई कथन अपील में अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से वाद संख्या 163/2015 के संदर्भ में पारित डिक्री विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दावा संख्या 158/2015 (21/1985) वादी हरिराम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचाराधीन निर्णय से इस वाद को अबैटमेंट के आधार पर खारिज किया गया है। इस वाद के निर्णय को किसी भी पक्षकार ने अपील के जरिये चुनौती नहीं दी है। अतः इसके संदर्भ में निर्णय अंतिम हो चुका है।

वाद संख्या 152/2014 को विचारण न्यायालय ने इस आधार पर खारिज किया है कि वादी रामनिवास व उसके वारिसान ने गत खसरा नम्बर 241/2 रकबा 1 बीघा 18 बिश्वा भूमि की खातेदारी इन्तकाल नम्बर 203 जो सन 1971 में दर्ज होना बताया है। उक्त इन्तकाल किस आधार पर उसके नाम दर्ज हुआ इसका कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है। वर्तमान में यह इन्तकाल निरस्त हो चुका है। वादी रामनिवास व उनके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वारिसान द्वारा दावा संख्या 152/2014 केवल स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। विधि अनुसार घोषणा के अभाव में खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विधि द्वारा पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से दावा संख्या 152/2014 खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। गुणावगुण के संदर्भ में दावा संख्या 152/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 47/2016 में कोई कथन नहीं किया गया है। अतः दावा संख्या 152/2014 के संदर्भ में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

विचारण न्यायालय के समक्ष दावा संख्या 54/2015 एवं 55/2015 वादी अपीलांट गोपाल चंद अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इन दोनों दावों के साथ वादी गोपालचन्द द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार हाल खसरा नम्बर 407 रकबा 0.81 हैक्टेयर हरिराम के नाम खातेदारी में जिस निर्णय व डिक्री से दर्ज हुई थी। वह निरस्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त वादी गोपाल चन्द्र द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 407 व 806/407 वादी अथवा उसके किसी पूर्वज की कब्जा काश्त व खातेदारी की होना प्रकट होता हो। अपीलांट द्वारा दावा संख्या 54/2015 एवं 55/2015 में स्वयं वादी होते हुए अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण पर दावा संख्या 54/2015 एवं 55/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 227/2016 एवं 247/2016 स्वीकार योग्य नहीं है।

विचारण न्यायालय के समक्ष दावा संख्या 163/2015 रेस्पोडेन्ट भागोती आदि की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इस वाद के संदर्भ में पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य से प्रकट होता है कि मिसल हकियत संवत 1999 के अनुसार गत खसरा नम्बर 221 रकबा 2 बिश्वा तथा गत खसरा नम्बर 241 रकबा 4 बीघा 18 बिश्वा की खातेदारी इस वाद में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी तुला वल्द अनदा एवं रूड़ा वल्द टेका के नाम दर्ज है जमाबन्दी संवत 2012 जो आधार जमाबन्दी है उसमें भी गत खसरा नम्बर 221 व 241 मीन की खातेदारी कालू पुत्र तुला 1/2 एवं रूड़ा पुत्र टेका 1/2 के नाम दर्ज है अर्थात मु.नं. 163/2015 के हकपूर्वाधिकारी इस भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प जयपुर)

के खातेदार दर्ज है खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 में भी गत खसरा नम्बर 241 रकबा 4 बीघा 18 बिश्वा तुला वर्गे, की खातेदारी की होना व पड़त होना दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2016 से 2019 में गुवार बाजरा की फसल व आबादी होना दर्ज है उसके बाद भी बाजरा गुवार सरसों की फसल होना दर्ज है तथा इस पर वादीगण के हकपूर्वाधिकारी घीसाराम वर्गे. की फसल होना दर्ज है अर्थात हरिराम महाजन के नाम से खसरा नम्बर गिरदावरी में कोई प्रविष्टिया नहीं है एवं जमाबन्दीयों के अनुसार वादीगण की खातेदारी की भूमि गत खसरा नम्बर 241 है गत खसरा नम्बर 241 की 1 बीघा 14 बिश्वा भूमि प्रभुदयाल कासीराम महाजन के नाम कैसे दर्ज हुई इसका रिकार्ड में कोई उल्लेख नहीं हैं तथा खसरा नम्बर 241 का ही 3 बीघा 4 बिश्वा रकबा पूर्व की भांति वादीगण के हकपूर्वाधिकारियों के नाम निरन्तर दर्ज है जो जमाबंदी संवत 2031 से 2034 तक लगातार दर्ज है गत खसरा नम्बर 241 मीन रकबा 3 बिघा 4 बिश्वा हरिराम के नाम से जिस निर्णय व डिक्री से दर्ज हुआ था वह आपस्त हो चुके है इसके अलावा मु.नं. 54/2015 व 55/2015 का वादी जो मु.नं. 163/2015 का प्रतिवादी है उसने ऐसी कोई साक्ष्य या सबूत नहीं बताये है जिससे की गत खसरा नम्बर 241 का 1 बीघा 14 बिश्वा रकबा प्रभुदयाल काशीराम के नाम दर्ज कैसे हुआ तथा गत खसरा नम्बर 241 मीन के 1 बीघा 14 बिश्वा पर उनका कब्जा रहा हो ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है जबकि गत खसरा नम्बर 241 के 4 बीघा 18 बिश्वा भूमि मु.नं. 163/2015 के वादीगण के हकपूर्वाधिकारियों की खातेदारी की रही है जो दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। वाद संख्या 163/2015 के निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 5 गोपालचन्द ने अपील संख्या 246/2016 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है एवं प्रतिवादी संख्या 6 रामनिवास के वारिसान ने अपील संख्या 48/2016 प्रस्तुत की है। गोपालचन्द द्वारा विचारण न्यायालय में जरिये वकील उपस्थिति होने के बावजूद मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपील संख्या 48/2016 एवं 246/2016 में अपीलांट ने गुणावगुण पर कोई कथन अपील में अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से वाद संख्या 163/2015 के संदर्भ में पारित डिक्री विधि सम्मत है। हम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 47/2016, 48/2016 गुणावगुण पर स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है, अपील संख्या 227/2016, 246/2016 व 247/2016 धारा 5 मियाद के बिन्दु पर व गुणावगुण पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर